उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 66/एन0बी0/एस0बी0/2022

अकरम अहमद, सब इंस्पैक्टर ना0पु0, आयु 42 वर्ष, पुत्र श्री मुख्तार अहमद, स्थाई निवासी ग्राम घाटी बागड़, थाना बलुआ कोट जिला पिथौरागढ (उत्तराखण्ड)

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री नदीम उद्दीन एवं आसिफ अली, याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांक अगस्त 07, 2023

प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है–

क– अलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 03.09.2021 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 20.06.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेख से विलुप्त करें।

ख– याची को निलम्बन काल के वेतन व भत्ते समस्त परिणामिक सेवालाभ जैसे रोकी गयी वेतन वृद्धि अवमुक्त करते हुये वेतन का बकाया तथा अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें।

ग–अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे।

घ–याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

2. संक्षेप में याचिकर्ता का कथन है कि याची 1998 में पुलिस विभाग में कांस्टेबिल पद पर भर्ती हुआ तथा 2016 में प्रोन्नत होकर सब इंस्पैक्टर, नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त हुआ। वर्तमान में वह थाना मंगलौर में तैनात है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है। उसे 2016 से लगातार दण्डादेश से पिछले वर्षों तक उत्कृष्ट वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है और उसे कभी भी इस प्रकार के किसी कार्य का दोषी नहीं पाया गया है। उसने सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है। वर्ष 2018 में जब याची उपनिरीक्षक ना०पु० काशीपुर कोतवाली में तैनात था तब गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में प्रभारी निरीक्षक के समक्ष तथकथित रूप से रिजवान नाम के व्यक्ति द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कांठ निवासी एक व्यक्ति (अनुज) द्वारा सट्टा चलाने की बात करने तथा याची द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमति देने का झूठा व निराधार आरोप लगाया गया, जिस पर बिना किसी स्वतंत्र साक्ष्य के विश्वास करते हुये अपीलार्थी को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलम्बित कर दिया गया। प्रारम्भिक जांच श्रीमान पुलिस क्षेत्रधिकारी महोदय से कराने के उपरान्त उत्तराखंड (उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म०/ दंड एवं अपील) नियमावली 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करने का आदेश दिया। विभागीय जांच अधिकारी/पीठासीन अधिकारी महोदय बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा अपीलार्थी के पक्ष को विचार में लिये अपीलार्थी के दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया।

3. श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, महोदय, काशीपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षो के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के विरुद्ध घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उद्दण्डता एवं प्रमाद का द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर महोदय ने कारण बताओ नोटिस पत्रांक पी०एफ०–02/2018 दिनांक 29 जून, 2018 दिया। जिसका याची द्वारा उत्तर देते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा इसमें उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही एक वर्ष के लिये उपनिरीक्षक के न्यूनतम वेतनमान पर अवनत करने का आदेश पी०एफ०–02/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 पारित कर दिया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसी प्रकरण में अपीलार्थी के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2018 का सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोकने का आदेश पी०एफ०–02/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 भी पारित कर दिया है। याची द्वारा विपक्षी सं0 3 को अपील की गयी। अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप याची द्वारा की गयी अपील को निरस्त कर दिया गया।

4. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर के दण्डादेश तथा विपक्षी सं0 03 के अपील आदेश के विरूद्ध याची द्वारा माननीय उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल पीठ

में क्लेम पिटीशन सं0 07/NB/SB/2019 फाइल की गयी। जिसका अंतिम निस्तारण करते हुये माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 06.11.2019 से याचिका स्वीकार करते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दण्डादेश तथा विपक्षी सं0 03 के अपील आदेश को अवैध मानते हुये निरस्त कर दिया। माननीय उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के निर्णय व आदेश दिनांक 06.11.2019 की सही प्रति याचिका का संलग्नक 3 है।

5. अलोच्य आदेश का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु ''सट्टा चलाले वाले व्यक्ति को सट्टा चलाने की अनुमति देना'' दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में समस्त विभागीय कार्यवाही एक गिरफ्तार अभियुक्त के थाना प्रभारी को पुलिस अभिरक्षा में दिये गये झूठे बयान के आधार पर की गयी है। ऐसा बयान कानून की दृष्टि से विश्वसीनय तथा कार्यववाही योग्य नहीं माना जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार ऐसा बयान अभियुक्त के विचारण में उपयोग भी नहीं किया जा सकता। याची ने कभी कोई माफीनामा स्वेच्छा से कभी प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि तथाकथित माफीनामें तथा इसे स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से देने की जांच के बगैर इसे कार्यवाही का मुख्य आधार बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी कबूलनामा निश्चायक सबूत नहीं हो सकता है। याची तथाकथित घटना की तिथि को न तो चौकी प्रभारी था और न ही थाना प्रभारी का ही कोई प्रभार उसके पास आने की संभावना थी ऐसी स्थिति में वह तथाकथित सट्टा चलवाने के लिये सक्षम ही नहीं हो सकता था। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा उससे इस बाबत बात करने का प्रश्न ही नहीं है। जिस गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान ने पुलिस अभिरक्षा में तथाकथित रूप से याची के विरूद्ध बयान दिया है उसी ने श्रीमान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय काशीपुर को दिये गये जमानात प्रार्थनापत्र में पुलिस द्वारा मुदकमें में गलत व झठा फंसाया जाना तथा कोई जुआ न खेलना लिखा है। इस प्रार्थना पत्र पर उसी दिन श्रीमान न्यायालय द्वारा उसकी जमानत भी स्वीकार की गयी है। ऐसे व्यक्ति का बयान विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। और न ही उसकी स्वेच्छा से दिया गया स्वतंत्र बयान माना जा सकता है। याची के विरूद्ध कार्यवाही से पूर्व गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान के बयान की सत्यता की जांच भी नहीं की गयी है और न ही उसके द्वारा तथाकथित अनुज की आरोपी/ उत्तरदाता से बात कराने के कथन और न ही अनुज की गतिविधियों की जांच का कोई उल्लेख किया गया है और न ही तथाकथित अवैध कार्य करने वाले अनुज के विरूद्ध कार्यवाही का कोई कथन किया गया है। याची के विरूद्ध गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में रिजवान द्वारा अपीलार्थी पर 42 हजार रूपये देने तथा 8 हजार रूपये स्वयं दलाली के लेने का कथन किया गया है यदि उसका बयान थाना प्रभारी द्वारा सत्य माना जाता तो उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 व 9 के अर्न्तगत दंडनीय अपराध का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसके पास से तथाकथित प्राप्त रू0 8 हजार की बरामदगी के लिए कार्यवाही की जाती। जबकि उसके विरूद्ध श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय की तथाकथित पूछताछ के बाद संबंधित गिरफ्तारी वाली एफ.आई.आर संख्या 23/2018 में आरोप पत्र सं0 20/2018 दिनांक 13.

01.2018 प्रेषित किया गया है जिसमें केवल धारा 13 जुआ अधिनियम का जुर्म होना पाया जाना लिखा है। इससे प्रमाणित है कि धाना प्रभारी ने भी उस अभियुक्त का अपीलार्थी के विरूद्ध दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं माना है। याची के विरूद्ध गिरफ्तार आरोपी के किसी बयान का उल्लेख श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के अतिरिक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने नहीं किया है जबकि उक्त तथाकथित बयानकर्ता अभियुकत रिजवान के विरूद्ध गिरफ्तारी वाले मुकदमें के अन्वेषण अधिकारी उपनिरीक्षक श्री अर्जुन गिरी के समक्ष उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। यदि ऐसा होता तो संबंधित अधिकारी अन्वेषण के समय केस डायरी में ऐसा उल्लेख अवश्य करते। याची के विरूद्ध तथाकथित बयान देने वाले गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान ने थाने में दो तीन पुलिस वालों से इसके बारे में बात करने का कथन किया है लेकिन इन पुलिस कर्मियों के नामों का न तो कोई उल्लेख किया है और न ही ऐसे पुलिस कर्मियों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित करने व संबंधित व्यक्यिों के विरूद्ध कार्यवाही का ही कोई उल्लेख किया गया है। इससे भी पूरे बयान की ही विश्वसनीयता संदेहजनक है। याची के विरूद्ध रिजवान के तथाकथित बयान को यदि कार्यवाही योग्य तथा विश्वसनीय माना जाता तो निम्न कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय व उच्च अधिकारियों द्वारा नही की गयी है–

(क) तथाकथित काशीपुर में सट्टा चलाने के इच्छुक अनुज के विरूद्ध कार्यवाही तथा उसकी अपराधिक गतिविधियों की जाचं।

(ख) काशीपुर के जिन दो–तीन पुलिस वालों से अपीलार्थी से पूर्व तथाकथित रूप से रिजवान द्वारा बात की उनका पता लगाकर उनके संबंध में यह जांच कि क्या उन्होनें इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और तथाकथित सट्टा चलाने वाले रिजवान व अनुज के विरूद्ध कार्यवाही करायी गयी।

(ग) काशीपुर थाना क्षेत्र में जो सट्टे की घटनायें प्रकाश में पिछले काफी समय से आ रही है उसमें पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की संलिप्तता की जांच।

6. अलोच्य आदेश का आधार श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, काशीपुर की विभागीय जांच फाइडिंग्स को बनाया गया है जबकि विभागीय जांच में पुलिस अभिरक्षा में बयान देने वाले गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान के आंशिक बयान को ही आधार बनाते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध निष्कर्ष दिये गये है जबकि कानून की दृष्टि से पुलिस अभिरक्षा के अभियुक्त का बयान या अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान विश्वसनीय व कार्यवाही योग्य नहीं माना जाता है। विभागीय जांच में श्रीमान जांच अधिकारी को याची के विरूद्ध कोई स्वतंत्र व सुसंगत कार्यवाही योग्य साक्ष्य नहीं मिला है। विभागयी जांच में किसी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं किये गये है। पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान के तथाकथित श्रीमान प्रभारी निरीक्षक को दिये गये बयान तथा विभागीय जांच में दिये गये बयानो में भी अंतर है। जहां प्रभारी

निरीक्षक श्री चंचल शर्मा के बयान के अनुसार याची से सट्टा कराने के लिए 2 लाख रूपये महीने में तथाकथित अनुज से बात कराने तथा 50 हजार रूपये दिलाने तथा 10 हजार रूपये उसके हिस्से में आने का रिजवान द्वारा कथन किया गया है जबकि रिजवान के विभागीय जांच रिपोर्ट में लिखित कथन में 42 हजार रूपये देने व 8 हजार रूपये पास रखने का कथन किया है। विभागीय जांच में प्रभारी निरीक्षक श्री चंचल शर्मा के बयान पूर्णतः अभियुक्त रिजवान के बयान पर आधारित है तथा उनकी अपनी जानकारी के आधार पर कोई भी बयान नहीं हैं। विभागीय जांच में अभियुक्त रिजवान, पुलिस उपधीक्षक काशीपुर श्री राजेश भट्ट प्रभारी निरीक्षक श्री चंचल शर्मा के अतिरिक्त कानि0 154 ना0पु0 कुलदीप सिंह तथा कानि0 265 ना0पु0 देवेन्द्र सिंह तथा कानि0 152 ना0पु0 शंकर टम्टा के बयान दर्ज किये गये है जो कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी आरोप की पुष्टि नहीं करते है। विभागीय जांच में अपीलार्थी के तथाकथित माफीनामे को बिना किसी जांच तथा उसके स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से लिखने की जांच के बगैर निश्चायक मान लिया गया है। जबकि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई कबूलनामा निश्चायक सबूत नहीं होता है। अपीलार्थी ने स्वेच्छा से ऐसा कोई माफीनाम दिया ही नहीं है। यह इस तथ्य से भी स्वतः प्रमाणित है कि तथाकथित रूप से प्रारम्भिक जांच के दौरान माफीनामे में अपनी गलती स्वीकार करने का श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा कथन किया गया है। यदि अपीलार्थी ने स्वयं अपनी गलती लिखित रूप से स्वीकार कर ली होती तो उनके द्वारा आगे जांच ही नही की जाती जबकि अन्य मामलों के समान ही श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने पूरी जांच की है। यह तथ्य स्वयं प्रमाणित करता है कि प्रारम्भिक जांच के दौरान अपीलार्थी द्वारा कोई माफीनामा नहीं दिया गया है। किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से माफीनामा देना व विभागीय कार्यवाही में प्रयोग तथाकथित माफीनामा अपीलार्थी द्वारा इसी संदर्भ में स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से दिया होना भी प्रमाणित नहीं किया है और न ही तथाकथित माफीनामा देने की कोई वीडियो क्लिप ही प्रस्तुत की गयी है।

7. अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दंड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14(1) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46(1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 86(1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 87(1) के अन्तर्गत इस विषय से संबंधी कोई नियम या विनियम वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अनीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकशित होने की कोई सूचना नहीं है इसलिए भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड में लागू नहीं है। इसलिए उक्त विभागीय कार्यवाही अवैध तथा नियम विरूद्ध है तथा केवल इस आधार पर ही उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

8. जबकि उत्तरदाता/ विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के उपरोक्त कथनों के खण्डन में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए संक्षेप में खण्डन किया है कि याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार हैं एवं केवल वही प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित हैं स्वीकार हैं।याची जब वर्ष 2018 में कोतवाली काशीपुर में नियुक्त था तो दिनांक 11.01.2018 को कानि0 265 ना०पु० देवेन्द्र सिंह तथा कानि0 154 ना०पु० कुलदीप सिंह द्वारा थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था डियूटी तथा कानि0 154 ना० पु० कुलदीप सिंह द्वारा थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था डियूटी पर होने के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौ० अल्ली खां चौक पर मो० रिजवान पुत्र जमीर अहमद नि० मिस्सरवाला थाना कुण्डा जनपद ऊधमसिंहनगर को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए मय गत्ता, पेन, पर्ची रूपये के गिरफ्तार कर थाना काशीपुर में प्र०सू०रि० सं०–23 / 2018 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त रिजवान की गिरफ्तारी पर थाना क्षेत्रान्तर्गत सट्टे के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से श्री चंचल शर्मा, प्रभारी निरीक्षक काशीपुर द्वारा अभियुक्त से पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान अभियक्त रिजवान द्वारा बताया गया कि वह सट्टे का काम करता है तथा अनुज नाम का व्यक्ति जो कांठ का रहने वाला है, उससे काशीपुर क्षेत्र में सट्टे की खाई बाडी करने की बात की थी जिस सम्बन्ध में आपको 2 लाख रुपये महीना देने की बात करायी गयी थी, जिसमें से पचास हजार रूपये याची को दिलवाये गये।

9. उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा की गयी जांच के दौरान भी याची द्वारा एक माफीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें याची द्वारा गलती को स्वीकारते हुए क्षमा याचना की गयी है। इस प्रकार याची द्वारा अपने नियुक्ति क्षेत्र में सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के बजाय संचालित करने का अवसर /अनुमति प्रदान करने का दोषी पाया गया। उक्त संबंध में विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जाने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा उप निरीक्षक को अपनी फाईडिंग में उक्त कृत्य को वृहद दण्ड जो उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) उल्लिखित है के लिये दोषी पाये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस संख्या पीएफ–2/2018 दिनांक 20–06–2021 को निर्गत किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस याची द्वारा दिनांक 27–07–2021 को प्राप्त किया गया। कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 16.08.2021 को शपथकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उपनिरीक्षक द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित कथन स्वीकार किये जाने योग्य नही थे। उक्त बिन्दु में उपनिरीक्षक द्वारा तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। याची द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान अंकित कराये गये कथनों में स्वयं लिखित बयान दिये है कि उसके द्वारा क्षेत्र में सट्टा कराने की अनुमति दी गयी थी। इसके अतिरिक्त मो० रिजवान पुत्र जमीर अहमद द्वारा भी प्रारंभिक जांच एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान भी उपनिरीक्षक को उत्कोच दिये जाने की पुष्टि की है। याची पर लगाये गये आरोपों की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से पूर्णत पुष्टि होती है। जिससे यह स्पष्ट है कि उपनिरीक्षक प्रश्नगत प्रकरण में पूर्णता दोषी है तथा उसके दोष को सिद्ध करने के

लिये पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रस्तर–23 में दण्डों का उल्लेख किया गया है तथा पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून ने अपने पत्र संख्याः डीजी 1–11/2019 (10) दिनांक 17.02.2020 के द्वारा भी निर्देश निर्गत किये गये है कि ''अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/ कर्म की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2002) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कराने के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23(1) एवं प्रस्तर–23(2) अंकित प्राविधानों के अनुसार दण्ड प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। उक्त प्रावधानों के अनुरूप उपनिरीक्षक को निर्गत कारण बताओ नोटिस संख्या पीएफ–2/2018 दिनांक 26.06.2021 के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि उप निरीक्षक ना०पु० श्री अकरम अहमद द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यों के आधार पर संतोषजनक नहीं पाते हुए दोषी पाया गया है।

10. अतः उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 23 (च) में उल्लिखित ''वेतन वृद्धि रोकना'' के अन्तर्गत उपनिरीक्षक ना०पु० अकरम अहमद की 02 वेतनवृद्धियां रोके जाने के आदेश दण्डादेश पत्रांक सीओके 150 (23)/2018 दिनांक 03.09.2021 को पारित किये गये हैं। उक्त प्रकरण में याची द्वारा उसको दिये गये दण्डादेश 02 वेतनवृद्धियां रोके जाने के पत्रांक सीओके 150 (23)/2018 दिनांक 03.09.2021 के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून द्वारा अपने आदेश पत्रांक डीजी–1–212/2022 (2) दिनांक 20.06.2022 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा पारित दण्डादेश पत्रांक सीओके 150 (23) /2018 दिनांक 03.09.2021 पूर्ण रूप से विधिसम्मत है। अतः याची की अपील अस्वीकृत की गयी है। याची द्वारा विभागीय अधिकारी को दिये गये माफीनामे की प्रति Annexure CA–1 के रूप में सलंग्न है। याची द्वारा पूर्व में उसके विरुद्ध पारित दण्डादेश के विरुद्ध याचिका संख्या 07/NB/DB/2019 योजित की गयी जिसमें माननीय लोक सेवा अधिकरण खण्डपीठ नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.11.2019 के द्वारा याची के सम्बन्ध में पूर्व में पारित दण्डादेश को खण्डित कर दिया। जिसके उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.12. 2020 द्वारा पूर्व में पारित को निरस्त कर दिया। उसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने आदेश 26.06.2021 के द्वारा याची को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये उससे 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि याची द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुये क्षमा याचना की गयी है। जिसके बाद याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याची के स्पष्टीकरण एवं जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त याची के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 (च) में उल्लिखित

''वेतन वृद्धि रोकना'' के अन्तर्गत दण्ड पारित करते हुये याची की 02 वेतनवृद्धिया रोके जाने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध याची द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया।

11. याची को विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप याची को बचाव का प्रर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है याची को सर्वप्रथम प्रारम्भिक जांच के दौरान बयान देने का अवसर प्रदान किया गया, इसके उपरान्त कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया गया, जिस पर नियमापुसार विचारोपरान्त दण्डाधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अंतिम आदेश पारित किया गया। इसके उपरान्त याची द्वारा अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा नियमानुसार विचार करते हुए दण्डादेश जारी किया गया है। याची के प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पूर्णतः प्रमाणित हुये है। प्रकरण में नियमानुसा जांच कराने के पश्चात याची को बचाव का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त ही अंतिम दण्डादेश पारित किया गया है, जिसमें प्रक्रिया संबंधी कोई त्रुटि नहीं है कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन है। विवरण उपरोक्त पूर्व प्रस्तरों में दिया जा चुका है। प्रतिवाद पत्र के उपरोक्त कथनों के आधार पर याची की याचिका स्वयय अस्वीकार होने योग्य है। मा0 न्यायाधिकरण से प्रार्थना है कि याचिकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है।

12. जबकि याचीकर्ता द्वारा उत्तरदाता/ विपक्षीगण के प्रतिउत्तर पत्र के कथनों का खण्डन करते हुए सक्षेप में प्रत्युत्तर (Rejoinder) इन कथनों के साथ प्रस्तत किया है कि प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं की गयी है इसलिये अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच के दौरान किसी तथाकथित माफीनामा प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रारम्भिक जांच में श्रीमान पुलिस क्षेत्रधिकारी महोदय ने अपनी प्रारम्भिक जांच आख्या में याची को किसी उत्कोच लेने का दोषी नहीं पाया लेकिन तथाकथित रूप से याची द्वारा सट्टे की अनुमति के लिये माफीनामा देने के आधार पर इसका दोषी होने का निष्कर्ष दिया। जबकि याची ने स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कोई माफीनामा नहीं दिया है। ऐसे किसी तथाकथित माफीनामें की प्रति प्रारम्भिक जांच आख्या के साथ, विभागीय कार्यवाही के दौरान, पूर्व में माननीय लोक सेवा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान कभी भी याची के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है और न ही इसका किसी गवाह के समक्ष परीक्षण ही कराया है। निष्कर्ष–फाइडिंग स्पष्ट व प्रमाणित होने के स्थान संभावना के आधार पर है इसी लिये इसमें ''दोषी प्रतीत होते है'' शब्दों का प्रयोग किया गया है। साबित/ प्रमाणित नहीं लिखा गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण साक्षीगण को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें तथाकथित सट्टे की बात करने वाला व्यक्ति कांठ निवासी अनुज, एस.आई. अर्जुन गिरी जिनके द्वारा प्रकरण के मुख्य गवाह दर्शाये गये रिजवान के विरूद्ध प्र0सू0रि० संख्या 23/2018 धारा 13 जुआ अधिनियम बनाम रिजवान अहमद के विवेचना की गयी। वीडियो ग्राफी

करने वाले वीडियोग्राफर को पेश नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण न कराना स्पष्टत प्राकृ–तिक न्याय का उल्लंघन है। अभियोजन साक्षीगण कां0 265 देवेन्द्र नेगी,का 154 कुलदीप सिंह तथा कानि0 152 शंकर टम्टा द्वारा याची के विरूद्ध किसी आरोप के सम्बन्ध में या उसके विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी प्रभारी निरीक्षक श्री चंचल शर्मा के कथन से याची /शपथकर्ता के विरूद्ध कोई साक्ष्य सृजित नहीं होता है क्योंकि उसके द्वारा अभियुक्त रिजवान अहमद से एकदम नितांत अकेले में पूछताछ की गयी है उस समय कोई भी पुलिस कर्मी मौजुद नहीं था। यहां तक कि संबंधित मुकदमें के विवेचक अर्जुन गिरी भी वहां नहीं थे। प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारी क्षेत्राधिकारी काशीपुर राजेश भट्ट के आदेश पर ही रिजवान से पूछताछ का तस्करा प्रभारी निरीक्षक चंचल शर्मा द्वारा जी.डी. में लिखा गया है। इसलिये वह जांच अधिकारी व गवाह दोनों साथ–साथ नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना नियम 13 तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रतिवाद पत्र के उत्तर के रूप में उक्त प्रत्युत्तर शपथपत्र के कथनों के आधार पर याची /शपथकर्ता की याचिका स्वीकीर किये जाने योग्य है। माननीय अधिकरण से नम्रतम प्रार्थना है कि याचीकर्ता/शपथकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी निर्देश याचिका को स्वीकार करके याची को प्रार्थित उपचार दिलवाने की कृपा करें।

13. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

14. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता वर्ष 2018 में कोतवाली काशीपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। दिनांक 11.01.2018 जमानती अपराध धारा 13 व अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान द्वारा पुलिस अभिरक्षा में प्रभारी निरीक्षक के समक्ष तथाकथित तथ्यों सट्टे व सट्टा की अनुमति देने का निराधार आरोप लागया गया जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पुलिस उपाधीक्षक काशीपुर को प्रारम्भिक जांच दी गई और जिनके द्वारा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को भेजी गई जिनके द्वारा विभागीय कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर को अभिदिष्ट की गई। जिनके द्वारा अपेक्षित अभिलेखों व गवाहन के बयान का परीक्षण किये बिना याचीकर्ता को जुआ/सट्टा जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने के प्रयास में दोषी मानते हुए दण्डित करने की संस्तुति की गयी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.08.2018 को दण्डादेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील की गयी जो दिनांक 30.10.2018 को निरस्त की गयी। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त दण्डादेशों के विरूद्ध याची द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल पीठ के समक्ष क्लेम पिटीशिन सं0–07/NB/SB/2019 दायर की गयी जिसे मा0 पीठ द्वारा स्वीकार किया गया जिसके निर्णय की प्रति संलग्नक–3 पत्रावली पर दाखिल की गई है और जिसके पश्चात पुनः उत्तरदातागण की ओर से याचीकर्ता के पूर्व में योजित की गई जांच रिपोर्ट के आधार

पर दण्डादेश उत्तरदाता सं0 3 पुलिस महानिरीक्षक कुमांऊ परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा दिनांक 03.09.2021 को याची को दण्डित करते हुए दो वेतन वृद्धियां रोकने का आदेश पारित किया गया और जिसके विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा उत्तरदातागण सं0 2 अपर पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून, के समक्ष अपील योजित की गयी जो दिनांक 20.06.2022 को साक्ष्य एवं परिपत्रों का परिशीलन किये बिना ही निरस्त की गयी और जिसके विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा पुनः प्रस्तुत याचिका आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2021 एवं अपील प्राधिकारी का अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांक 20.06.2022 को अपास्त करने हेतु योजित की गयी।

15. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण कार्यवाही अभियुक्त रिजवान के बयानों एवं याचीकर्ता के माफीनामें पर आधारित की गयी है। जबकि याचीकर्ता द्वारा जो माफीनामा दिया गया वह प्रारम्भिक जांचकर्ता अधिकारी के कहने पर दिया था तथा याचीकर्ता द्वारा स्वेच्छा से नही दिया गया था साथ ही अभियुक्त रिजवान द्वारा कांठ निवासी अनुज का काशीपुर आना और काशीपुर में पुलिस से सट्टा चलाने की बात करने एवं याची अकरम अहमद से बात होने आदि का जो कथन किया गया है के संबंध में अनुज निवासी कांठ जिला मुरादाबाद को साक्ष्य से परिक्षित नही करवाया गया जिससे उत्तरदातागण द्वारा याचीकर्ता को दिया गया दण्ड प्राकृति न्याय के विरूद्ध है। अतः उत्तरदाता सं0 3 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 03.09.2021 एवं अपील प्राधिकारी द्वारा अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 20.06.2022 अपास्त किये जावे। याची के विद्वन अधिवक्ता ने अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Hardwari Lal Vs. State of Uttar Pradesh [AIR 2000 SC 277], Nirmala j. Jhala Vs. State of Gujarat [AIR 2013 SC 1513], Kuldeep Singh Vs. Commissioner of police [AIR 1999 SC 677], State of Uttaranchal Vs. Kharak Singh [(2008) 8 SCC 236, Khem Chand Vs. Union of India [AIR 1958 SC 300], State of Punjab Vs.Bhagat Ram [AIR 1974 SC 2335, Kashinath Dikshita Vs. Union of India [AIR 1986 SC 2118, Anil Kumar Vs. presiding Officer [AIR 1985 SC 1121], A.K. Kraipak Vs. Union of India [AIR 1970 SC 150, BabuVerghese Vs. Bar Council of Kerala [AIR 1999 SC 1281], S.N. Mukherjee Vs. Union of India [AIR 1990 SC 1984, Union of India vs. M.L Capoor [AIR 1974 SC 87] में विश्वास व्यक्त किया है।

16. उत्तरदातागण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए कहा कि पूर्व में मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण द्वारा याचिका सं0 07/NB/SB/2019 में जो दण्डादेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर दिनांकित 01.08.2018 एवं अपीलय आदेश 30.10.2018 अपास्त किया गया था वह नियुक्ति प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित न किये जाने के कारण अपास्त किया गया था। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दौरान बहस यह भी तर्क दिया

गया कि याचीकर्ता स्वयं पुलिस उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी है ओर जिनके द्वारा अभियुक्त रिजवान द्वारा अपने गिरफ्तार होने का जो आरोप लगाया गया है, के संबंध में माफीनामा स्वेच्छा से अपने स्वलेख एवं हस्ताक्षर में दिया गया और जिसमें अपनी गलती को स्वीकार किया गया और जिसे याचीकर्ता द्वारा अपने बयानों में प्रारम्भिक जांच के दौरान स्वीकार किया गया है तथा अपने बयानों में अभियुक्त रिजवान से याचीकर्ता द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान जिरह में यह पूछने पर कि याचीकर्ता से बात करने से पहले दो, तीन और पुलिस वालो से बात हुई किससे और क्या बात हुई उन पुलिस वाले के नाम पता क्या थे? जिस पर अभियुक्त रिजवान द्वारा कुलदीप का नाम बताया। जबकि बयानो के दौरान पूर्व में अभियुक्त रिजवान द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया कि ''मेरे द्वारा अनुज को बुलावाया गया ओर अकरम दरोगा जी को भी दिनांक 28–29/2/2017 को होटल सीटी स्टार जसपुर अड़डे होटल में इनकी मीटिंग करवायी दो लाख रू0 में एक महीने का सौदा तय हुआ जिसमें से पचास हजार दरोगा अकरम अहमद को जिस दिन वे छुट्टी गये, उस दिन रेलवे स्टेशन के सामने प्रिया माल के सामने किसी सफेद रंग के टाटा सफारी जिसमें दरोगा जी आये थे, मैंने अकरम अहमद दरोगा जी को ब्यालीस हजार रू0 दिये बाकी आठ हजार मैंने रख लिये थे'' के संबंध में याची द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि दिनांक 28–29/2/2017 को अनुज नामक व्यक्ति से होटल सीटी स्टार जसपुर में मीटिंग नही करवायी हो और जब याचीकर्ता छुट्टी गये उस दिन रेलवे स्टेशन के पास सफेद सफारी से नहीं आये हो। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त रिजवान के उपरोक्त बयानात एवं याचीकर्ता के द्वारा स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में दिये गये माफीनामे के बावजूद अनुज नाम के व्यक्ति के साक्ष्य की कोई आवश्कता नही थी और इस प्रकार उपरोक्त आरोपों को साबित करने आरोपित करने का भार भी स्वयं याची पर था उत्तरदातागण को याचीकर्ता के स्वीकारोक्ति को साबित करना आवश्यक नहीं था विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अपने उपरोक्त बयानात के समर्थन में मा0 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित निर्णय CWP No.27281 of 2017 (O&M) कुलदीप सिंह, बनाम् शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी में पारित निर्णय दिनांकित 17 जनवरी, 2023 में विश्वास व्यक्त किया है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.01.2018 में अभियुक्त रिजवान पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम मिस्सरवाला थाना कूण्डा को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए गिरफ्तार किये जाने पर उसके विरूद्ध थाना काशीपुर में एफ. आई.आर. 23/18 धारा 13 जुआ अधिनिमय के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक श्री चचंल शर्मा कोतवाली काशीपुर द्वारा अभियुक्त रिजवान से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि **''मैं स्ट्टे का काम करता हूं अनुज नाम का व्यक्ति जो कांठ का रहने वाला है, ने मुझसे काशीपुर क्षेत्र में सट्टे की खाई बाड़ी करने की बात की थी मैने एस आई अकरम अहमद से सट्टा करने के लिए दो लाख रू0 महीना देने की बात कराई थी जिसमें से**

पचास हजार रू0 एस0आई अकरम अहम को दिलवाये थे जिसमें से दस हजार रू0 उसके हिस्से में आये ''।

18. अभियुक्त के उक्त बयानात के संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक काशीपुर श्री राजेश भट्ट को प्रारम्भिक जांच दी गयी और तदोपरान्त उ0नि0 (ना0 पु0) अकरम अहमद, रिजर्व पुलिस लाईन जनपद उधमसिंहनगर के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट–2007 को धारा 23(1) एवं उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (उपान्तरण आदेश 2002) के नियम 14/(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पादित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,उधमसिंहनगर के द्वारा पीठासीन अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर डॉ0 जगदीश चन्द्र को आवंटित की गयी, में कार्यवाही के दौरान प्रारम्भिक जांच अधिकारी श्री राजेश भट्ट क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा बयान दिया गया कि '' प्रारम्भिक जांच के दौरान उपनिरीक्षक अकरम अहमद द्वारा स्वयं एक माफीनामा प्रस्तुत किया जिसमें उपनिरीक्षक द्वारा गलती स्वीकारते हुए क्षमा याचना की गयी है'' जिससे याचीकर्ता को स्ट्टे आदि के विरूद्ध विधिक कार्यवाही न करने व उसके विपरीत सट्टा चलाने की अनुमति देने का दोषी पाया गया। पुलिस उपाधीक्षक /क्षेत्राधिकारी काशीपुर राजेश भट्ट से जिरह की अनुमति याची द्वारा चाही गयी और जिसपर याचीकर्ता का यह पूछने पर कि कथित माफीनामा मैंने कब दिया था? के उत्तर में क्षेत्राधिकारी राजेश भट्ट द्वारा कहा गया कि माफीनामा बयान अंकित करते समय दिया था। पुनः याचीकर्ता द्वारा पूछा गया कि तथाकथित माफीनामा देने से पूर्व आपने मुझसे क्या कहा है? जो मैने आपको माफीनामा दिया जिसके उत्तर में पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि जब आप बयानों के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, मेरे द्वारा आपको पूरी घटनाक्रम पर सही बात बताने को कहा गया था। उपरोक्त बयानात के विरूद्ध भी याची द्वारा जिरह के दौरान कोई ऐसा निष्कर्ष नही निकाला गया कि प्रारम्भिक जांच के दौरान याचीकर्ता के बयान अंकित करते समय याचीकर्ता द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री राजेश भट्ट को माफीनामा न दिया गया हो तथा श्री राजेश भट्ट पुलिस उपाधीक्षक द्वारा याचीकर्ता को घटनाक्रम पर सही बात बताने को न कहा गया हो, जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान माफीनामा स्वलेख व स्वहस्ताक्षर के इस आशय का दिया गया कि ''**रिजवान नाम व्यक्ति जो कि पुलिस को अपराधियों की सूचना देता है, पुलिस का अच्छा मुखबिर है, के बार–बार मेरे पास आने तथा कांठ के व्यक्ति से सट्टा कराने की सिफारिश करने व उनसे मिलने का कहने पर मैंने रिजवान को उनसे मिलने व क्षेत्र में सट्टा लगाने की सहमति दी, परन्तु कुछ समय बाद ही अपनी गलती का अहसास होने पर मैंने उन्हें किसी भी सट्टेबाजी करने से मना कर दिया। मैंने किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नही लिया है, अज्ञानतावश क्षेत्र में सट्टा लगाने की सहमति देने व उक्त सूचना अपने उच्चाधिकारियों को न**

देकर अपने स्तर तक ही रखने के लिए अपनी गलती स्वीकार करता हूं। महोदय प्रार्थी की यह प्रथम गलती है, भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नही होगी। प्रार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें तथा प्रार्थी को क्षमा करने की कपा करें''।

19. याचीकर्ता द्वारा दिये गये उपरोक्त माफीनामा का समर्थन जांच अधिकारी को अपने साक्ष्य के दौरान दिये गये अपने बयानात में किया है जो पत्रावली पर उत्तरदातागण की ओर से दिये गये प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है जो पृष्ठ सं0 12 है, में याचीकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि **''मैं वर्तमान में पुलिस लाईन में नियुक्त हूं। पूर्व में मैं दिनांक 12/8/17 से 09/1/18 तक चौकी बॉसफोडान, थाना काशीपुर में बतौर उ0नि० नियुक्त रहा। थाना काशीपुर में नियुक्ति के दौरान दिनांक 30.12.17 को रिजवान नाम का व्यक्ति जो मिस्सरवाला, थाना कुण्डा का रहने वाला है, मेरे पास आया और कहने लगा कि एक आदमी जो कि कांठ का रहने वाला है, काशीपुर में सट्टे का कारोबार करना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। मैंने उससे मिलने से इंकार कर दिया, उसके बाद भी रिजवान मेरे पास दो–तीन बार आया और उक्त व्यक्ति से काशीपुर में सट्टा कराने के सम्बन्ध में सिफारिश करने लगा। चूंकि रिजवान पुलिस को अपराधियों की सूचना देता रहता है तथा अच्छा मुखबिर है। अतः मैंने उससे उक्त कांठ के व्यक्ति से मिलने की सहमति दे दी तथा क्षेत्र में सट्टा कराने को कह दिया, परन्तु इसके कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस पर मैंने उसे क्षेत्र में सट्टेबाजी करने/कराने से मना कर दिया। उसने मुझे रुपये देने का लालच देने का प्रयास किया, परन्तु मैंने किसी से कोई रूपये नही लिये। सर मुझसे अज्ञानतावश गलती हो गयी, जिसका तत्काल आभास हो गया था। प्रार्थी की यह पहली गलती है, जिसमें प्रार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर क्षमा करने की कृपा करें।''**

20. अतः याचीकर्ता के उपरोक्त स्वलेख व स्वहस्ताक्षर में दिया गया माफीनामा एवं बयानात से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रिजवान द्वारा याचीकर्ता से सट्टा कराने की सिफारिश करने व उनसे मिलने को कहने पर अभियुक्त रिजवान व कांठ निवासी अनुज से मिलने व क्षेत्र में सट्टा चलाने की सहमति दी गयी, ऐसी स्थिति में याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन की याचिकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से उक्त माफीनामा नहीं गया दिया था विश्वसनीय नही है। जैसा कि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त संक्षिप्त नजीर में मा0 उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा द्वारा भी विधि व्यवस्था में दी गयी है– "There is a writing by the petitioner in his own hand which has been attested by the cashier, Store-keeper and some others in which it is stated that on January 18, 1995, while on duty regarding counting of money from the 'Golak' in 'Gurdwara Alamgir, somebody saw him and thereafter he brought Rs.7310/- from his room

and redeposited the same in the Golak (Chest). It is further stated "I have done a mistake and will not repeat the same in future". In view of this statement of the petitioner, we do not find that any unreasonable view has been taken by the respondent in passing the impugned order. No regular enquiry in the view of the above statement was required. It cannot be imagined that the statement made by the petitioner and written in his own hand and attested by so many was under pressure or coercion. Dismissed"

21. अतः याचीकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की स्वयं स्वीकारोक्ति दिये गये माफीनामा एवं तत्पश्चात् प्रारम्भिक जांच के दौरान अपने बयानात में पुष्टि करने व अन्य गवाहन के बयान से पूरी तरह साबित होने के उपरान्त विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध दिनांक 03.09.2021 को उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 (च) में उल्लिखित ''वेतन वृद्धि रोकना'' के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियां रोकने हेतु पारित दण्डादेश एवं उसके विरूद्ध याचिकार्ता द्वारा अपीलीय प्राधिकारी उत्तरदाता सं0 2 के समक्ष की गई अपील को अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20 जून, 2022 निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है, तदनुसार याचीकर्ता की याचिका में कोई विधिक बल न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता उपनिरीक्षक अकरम अहमद ना0पु0 की याचिका निरस्त की जाती है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगें।

दिनांकः अगस्त 07, 2023 (राजेन्द्र सिंह)
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)

Renu